

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर एवं अति.जिला
मजिस्ट्रेट-प्रथम, जयपुर

परिवाद संख्या: 19/2023

GCMS No:- 2023/113

सरकार जरिये नरेन्द्र सिंह राठौड खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय।

...प्रार्थी

बनाम

1. श्री महेश कुमार शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा (विक्रेता)
मैसर्स महेश किराणा एण्ड जनरल स्टोर,
सांभरिया रोड, कानोता, तह0 बस्सी, जिला जयपुर। 303012
निवासी 489, न्यू कॉलोनी, सांभरिया रोड, कानोता, जयपुर। 303012
मोबाईल नंबर 8386991592
2. मैसर्स भोले बाबा मिल्क फूड इण्डस्ट्रीज
आगरा, अलीगढ बाइपास रोड, खैर चौराहा,
खैरेश्वर धाम, तह0 कोइल जिला अलीगढ उत्तरप्रदेश।

... अप्रार्थी-अभियुक्त

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (2)
एफ.एस.एस. एक्ट, 2006 एवं नियम 2011



निर्णय

दिनांक: 20/03/2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.02.2023 को दोपहर 01.00 पी.एम. पर मैसर्स महेश किराणा एण्ड जनरल स्टोर कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर पर पहुंचा। वहां पर श्री महेश कुमार शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा उपस्थित थे। श्री महेश कुमार शर्मा को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री महेश कुमार शर्मा ने स्वयं को फर्म का मालिक एवं विक्रेता होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्री महेश कुमार शर्मा से खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र मांगा इन्होंने मौके पर फर्म का खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन पत्र एवं स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रतियां प्रस्तुत की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स महेश किराणा एण्ड जनरल स्टोर का निरीक्षण करने पर विक्रेता की दुकान में GHEE (KRISHNA AGRMARK) 2 किलोग्राम के 10 पैकेट एवं 449 ग्राम के 20 पैकेट (लगभग 20 किलोग्राम) के सील्ड पैकेट आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। इनमें गुणवत्ता में कमी/मिसब्रान्ड का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच हेतु 4 सील्ड पैकेट GHEE (KRISHNA AGRMARK) (449 gm*4) पैकेट खरीदकर उसकी कीमत 1080/- रूपये विक्रेता श्री महेश कुमार शर्मा को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान श्री रामबाबू शर्मा एवं लल्लु प्रसाद शर्मा के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। यह रसीद न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रतियां तैयार कर खाद्य कारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे खाद्य कारोबारकर्ता तथा गवाहान ने भी पढकर, समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5 एक की प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा GHEE (KRISHNA AGRMARK) को एकरूप कर चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक के जार

अतिरिक्त
कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

विक्रेता एवं गवाहान को दिखाकर उक्त खरीदशुदा GHEE (KRISHNA AGRMARK) (449 gm*4) पैकेट को प्रत्येक जार में बराबर-बराबर डाला एवं प्रत्येक जार पर लेबल लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया। लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के कोड एवं क्रमांक AN-2926 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारो नमूना भागो को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नंबर AN-2926 नियमानुसार चारों नमूना बोतलों पर नीचे से उपर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि हस्ताक्षर पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नंबर 6 की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो प्रार्थना पत्र के संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के पत्र क्रमांक 112 दिनांक 08.03.2023 द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस / 419/एक्ट/2023/491 दिनांक 28.02.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ GHEE (KRISHNA AGRMARK) सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समस्त मूल पत्रावली को अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की तथा श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। जिसकी अनुपालना में परिवाद प्रस्तुत किया गया है तथा निवेदन किया है कि सबस्टैण्डर्ड GHEE (KRISHNA AGRMARK) का विक्रय/निर्माण करके अप्रार्थी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(2) का उल्लंघन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे। प्रार्थी पक्ष द्वारा परिवाद प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी (अभियुक्त) को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। अप्रार्थीगण/अभियुक्तगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री गजानन्द गुप्ता उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रविराज केदावत, कुलदीप शर्मा उपस्थित आये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी। उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।



अतिरिक्त
कलेक्टर (प्रथम)
जयपुर

पत्रावली पर प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई। बहस प्रार्थी पक्ष ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ GHEE (KRISHNA AGRMARK) का विक्रय करके अप्रार्थीगणों ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उपधारा 2(2)का 2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता संख्या 2 ने कथन किया कि अप्रार्थी ने अपने स्तर पर किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। खाद्य वस्तु के पैकेट पर आर.डी.ए. की घोषणा देने की छूट दिनांक 01.07.2023 से छः माह तक थी यानि 31.12.2023 तक थी इस कारण से दिनांक 20.02.2023 को जिस दिन नमूना लिया गया उस दिन खाद्य वस्तु के पैकेट पर आर.डी.ए. की घोषणा ना दिये जाने पर किसी खाद्य सुरक्षा एक्ट के प्रावधानो का उल्लंघन नहीं होता है। इसलिए अप्रार्थी के विरुद्ध FSS (Labelling and display) Regulations 2020 प्रावधानो के उल्लंघन बाबत अभियोजन की कार्यवाही नहीं चल सकती है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 52 में प्रथम बार खाद्य पदार्थ मिसब्रान्ड/सबस्टैण्डर्ड आने पर आने पर शास्ति माफ करने का प्रावधान है। अप्रार्थी द्वारा वर्तमान में लैबलिंग FSS (Labelling and display) Regulations अनुसार ही की जा रही है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जाकर अप्रार्थी के विरुद्ध शास्ति माफ करने की कृपा करें एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज किया जावे।

पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया। प्रस्तुत दलील पर गौर किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थी-अभियुक्त द्वारा मिसब्रान्ड खाद्य पदार्थ GHEE (KRISHNA AGRMARK) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उप धारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों अनुसार आर.डी.ए. की घोषणा देने की छूट 31.12.2023 तक की गयी है किन्तु खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ GHEE (KRISHNA AGRMARK) के लेबल पर amount of sodium भी अंकित नहीं था इसलिए खाद्य पदार्थ मिसब्रान्ड होना पाया गया है। अप्रार्थी पक्ष की ओर से इस सम्बन्ध में ऐसे कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं हुये है, जिससे यह साबित हो कि उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो। अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थीगण-अभियुक्तगण पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध कारित होने पर शास्ती राशि रु 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) लगाई जाती है। अप्रार्थीगण-अभियुक्तगण जुर्माना राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट हैड में 15 दिवस की अवधि में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा राशि जमा करा कर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे। प्रार्थी पक्ष को निर्णय की प्रति पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनिता सिंह)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति.कलक्टर एवं अति.जिला
मजिस्ट्रेट-प्रथम जयपुर

